संख्या-7/2023/I/295897/2023/फाइल नं0-86-01099/653/2022

प्रेषक,

विपिन कुमार जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के 03 निष्प्रोज्य वाहनों के स्थान पर 02 बोलेरो B4 BS6 एवं 01 होन्डा अमेज कार क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पत्र संख्या-3407/वाहन/एस-45/2018-19, दिनांक23.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में निदेशालय के तीन निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी के प्रतिस्थापन स्वरूप निम्नलिखित 02 बोलेरो B4 BS6 एवं 01 होन्डा अमेज कार क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 2433067.00 की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृत एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है :-

क्र० सं०	फर्म का नाम	वाहन का माडल	क्रय हेतु वाहन संख्या	लागत प्रति वाहन	कुल लागत
1	Mahindra & Mahindra Limited Mumbai	Bolero B4 BS6	02	**8,45,282.00**	**16,90,564.00**
2	Honda	Honda Amaze VXMT-Petrol BS-VI	01	**7,42,503.00**	**7,42,503.00**
				योग	**24,33,067.00**

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के तीन निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी के स्थान पर उपर्युक्त 03 नवीन वाहनों (02 बोलेरो B4 BS6 एवं 01 होन्डा अमेज कार) को क्रय किये जाने हेतु रू0 24,33,067.00 (रूपये चौबीस लाख तैंतीस हजार सडसठ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं :-

i. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-31/2022/वी-2-325/दस-2022-244/2022 दिनांक 14.12.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. आग्रिम आहरण के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iii. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म GEM की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

iv. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष पूर्व में वाहन क्रय नहीं किया गया है। क्रय किये जा रहे वाहन की दर व गुणवत्ता का दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का होगा।

v. प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि के आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

vi. स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0 इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

vii. आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित की जायेगी।

viii. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ix. यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

x. धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उसके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 का होगा।

xii. शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 तथा निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी /वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उपर्युक्त कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-01 खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था" के मानक मद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-6-265-X-2022-23 दिनांक 27 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
विपिन कुमार जैन
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक :तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विपिन कुमार जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।